

31 $\frac{7}{19}$

पत्रावली पत्रे दुर्गा अधिवक्ता पक्षकारान् उपस्थित
 हैं। तदधीनकार गढ़बोर से प्राप्त विभाजन फहरिफ
 व नक्शा ड्रेस पर अधिवक्ता पक्षकारान् वी लख
 खुती गरी अधिवक्ता पक्षकारान् को विभाजन फहरिफ
 पर कोई फहरिफ नहीं है अतः तदधीनकार गढ़बोर
 से प्राप्त विभाजन फहरिफ व नक्शा ड्रेस सीद्ध
 सिद्धि जाते हैं व ग्राम अमरनीमा पत्रवाल हल्का जामवद
 की आ. नं. 845 शा. नं. 846 रकबा 2.04 बिस्वा पत्र-3 लगान
 0.13 रुमि से से जाती के नाम पर आ. नं. $\frac{845 \text{ शा. नं.}}{846}$

रकबा 0.13.05 बिस्वा पत्र-3 लगान 0.09 दर्ज करने का
 व प्रतियादी संख्या (1) (2) (3) (4) (5) के नाम पर आ. नं.

845 शा. नं. रकबा 1.10.15 बिस्वा पत्र-3 लगान 0.09
 846

(जिसमें ~~संख्या~~ प्रतियादी संख्या (1) (2) का $\frac{293}{615}$ व प्रतियादी संख्या ~~(1) (2)~~ (3) (4)
 का $\frac{29}{615}$ एवं प्रतियादी संख्या (5) का $\frac{293}{615}$) दर्ज करने

का फहरिफ दिया जाय है। तदनुसार डिडी पत्रा
 जारी हो। पत्रावली फहरिफ शुभान होकर नक्शा
 से बन हो। पालन हेतु डिडी की प्रमाणित प्रति व सीद्ध
 विभाजन फहरिफ व नक्शा ड्रेस तदधीनकार गढ़बोर
 को भेजा जावे। निर्णय सुले न्यायालय से शुभान (अप)

सहायक कलेक्टर
 (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ
 जिला-राजसम्भर

